प्रभास्मि शशि सूर्ययोः

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005
टेलीफोन/फैक्सः 0141-2747039
वेबसाईटः- www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl ईमेलः caorb@jvvnl.org

क्रमांकः जे.पी.डी. / मु.ले.अ (रा.व एवं बि.) / राज. / पत्रा. 728 / प्रे. 852 जयपुर, दिनांकः16.10.2018

परिपत्र

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 7(22) ऊर्जा / 2016 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियमित टैरिफ सब्सिडी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं (Block supply- Rural) द्वारा अपने स्तर पर वहन की जाने वाली विद्युत बिलों की राशि का पुनर्भरण (अधिकतम 10,000 / – रुपये प्रतिवर्ष) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन करने के दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।

इस योजना को लागू करने हेतु निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम द्वारा पत्र क्रमांक 795 दिनांक 11.10.18 से फील्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

उपर्युक्त आदेश की निरंतरता में सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पालनार्थ निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं–

1. निदेशक (तकनीकी) के उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' में फीडर इंचार्ज द्वारा लाई गयी सूचना को सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी Login – ID से बिलिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा।
2. बिलिंग एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि Login – ID एक बार Login करने के बाद 30 मिनट की अवधि तक वैध / परिचालित रहे एवं Single Entry Approval के स्थान पर Bulk Entry Approval हो।
3. रिमार्क कॉलम में कोड संख्या 1 या 2 से मुक्त सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अपने स्तर पर वहन की गई विद्युत बिलों की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के अंतर्गत अपने स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु बिलिंग एजेंसी द्वारा लाभार्थियों से संबंधित वांछित एवं फीडर इंचार्ज द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना DOIT को अपने स्तर पर online प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
4. जिन उपभोक्ताओं से सम्बन्धित सूचना के रिमार्क कॉलम में कोड 1 या 2 दर्ज किया गया है, ऐसे सभी कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2018 में

Scanned by CamScanner

जारी बिल राशि में सब्सिडी का पुनर्भरण उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) योजना के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, अपितु बिलों में ही समायोजित कर दिया जाएगा। बिलिंग एजेन्सी द्वारा स्पॉट बिल प्रारूप के क्रमांक 31 पर "सरकार द्वारा अनुदान" के सम्मुख उक्त योजना से संबंधित समायोजित राशि पृथक् रूप से निम्न प्रारूपानुसार प्रदर्शित की जायेगी –

31	सरकार द्वारा अनुदान	–.........	DBT	–........................

ऐसे पात्र कृषि उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा देय अनुदान राशि (DBT योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि को सम्मिलित करते हुए) उनकी बिल राशि में से समायोजित करते हुए भुगतान हेतु देय राशि का बिल जारी किया जायेगा।

5. बिलिंग एजेन्सी, यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को DBT के अंतर्गत अनुदान राशि का उनके बैंक खातों में हस्तांतरण अथवा बिलों में समायोजन (कोड 1 या 2 की स्थिति में) किसी भी प्रकार की बकाया राशि नहीं होने की स्थिति में ही किया जायेगा एवं इसके साथ–साथ इस योजना के अंतर्गत आनुपातिक आधार पर कृषि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा किये गये भुगतान के विरुद्ध अधिकतम 833/– रुपये प्रतिमाह (अधिकतम राशि रुपये 10000/– प्रतिवर्ष) का हस्तान्तरण या समायोजन ही किया जायेगा।
6. बिलिंग एजेन्सी, ऊर्जा विभाग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र की शर्त संख्या 4,5, एवं 6 की पालना सुनिश्चित करेगी।
7. पात्र कृषि उपभोक्ताओं के DBT के अंतर्गत पुनर्भरण राशि के समायोजन हेतु नया Transaction Code 85 आवंटित किया गया है।
8. बिलिंग एजेन्सी द्वारा MIS- 3.2 के J.V. में पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिलों में समायोजन के द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि की अतिरिक्त प्रविष्टि की जायेगी –

Amount receivable from Govt.-AG bill reimbursable under DBT To Sundry Debtors	Accounting code 28.638	Dr. Rs._____ Rs._____

(एम. एस. पालावत) 16/4/2018
निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ... ।
2. मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
3. अधीक्षण अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,.. ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,............................. ।
5. निजी सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (वित्त / तकनीकी), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
6. मै. बी.सी.आई.टी.एस. जी. 19–20 मैट्रोपोलिस टावर, अजमेर रोड़, जयपुर।

व. लेखाधिकारी (रा. एवं बिलिंग)

Scanned by CamScanner